

# Rajasthali Law Institute

Prelims test series

## Transfer of Property Act-3 (Section 52 to 67)

1)सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की किस धारा में कपटपूर्ण अंतरण उपबन्धित है? /  
In which section of the transfer of property act provided  
**Fraudulent transfer?**

- (a) धारा 47/Section 47
- (b) धारा 53/Section 53
- (c) धारा 60/Section 60
- (d) धारा 55/Section 55

2)स्थावर सम्पत्ति का हर एक ऐसा अन्तरण, जो पाश्चिक अन्तरिती को कपटवंचित करने के आशय से प्रतिफल के बिना किया गया है, / **Every transfer of immovable property made without consideration with intent to defraud a subsequent transferee**

- (a) अन्तरिती के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। / shall be voidable at the option of such transferee.
- (b) अन्तरिती के विकल्प पर वैध होगा। / shall be legal at the option of such transferee.
- (c) अन्तरक के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। / shall be voidable at the option of such transferor.
- (d) अन्तरक के विकल्प पर वैध होगा। / shall be legal at the option of such transferor

**3). संविदा के भागिक पालन के मामले में निम्न में से कौन-सा घटक अनिवार्य नहीं है? / Which one of the following components is not essential in the case of part performance of a contract?**

- (a) अचल सम्पत्ति के अन्तरण का करार। / Agreement for transfer of immovable property.
- (b) करार लिखित में हो जिस पर अन्तरक या उसकी ओर से किसी के हस्ताक्षर हो। / The agreement is in writing signed by the transferor or on his behalf.
- (c) अन्तरिती का सम्पत्ति पर कब्जा हो। / The transferee has possession of the property.
- (d) अन्तरिती ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो। / The transferee has paid consideration in full.

**4) निम्नलिखित में से क्या विक्रय का अनिवार्य तत्व नहीं है? / Which of the following is not an essential element of sell?**

- (a) पक्षकार / Party
- (b) विषय-वस्तु / Subject matter
- (c) अन्तरण अथवा हस्तांतरण / Transfer
- (d) कीमत का नकद भुगतान / Cash payment of the price

**5). ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अन्तरण जो दी जा चुकी हो, या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। / a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part-paid and part-promised.**

- (a) विनिमय / Exchange
- (b) पट्टा / Lease
- (c) बंधक / Mortgage
- (d) विक्रय / Sale

Estd. 2008

**6). सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की किस धारा में विक्रेता के अधिकार और दायित्व उपबन्धित है? / In which section of the transfer of property act provided Rights and liabilities of seller?**

- (a) धारा 55/Section 55
- (b) धारा 105/Section 105
- (c) धारा 115/Section 115
- (d) धारा 75/Section 75

**7)संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 58 में कितने प्रकार के बंधक वर्णित है? / How many types of mortgages are described in Section 58 of the Transfer of Property Act?**

- (a) चार / Four
- (b) पाँच/ Five
- (c) छः / Six
- (d) सात / Seven

**8)निम्न में से सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम का कौन-सा उपबन्ध भोगबंधक से संबंधित है? / Which of the following provisions of the Transfer of Property Act is related to the Usufructuary mortgage?**

- (a) धारा 58 (क) / Section 58(a)
- (b) धारा 58 (ख) / Section 58 (b)
- (c) धारा 58 (घ) / Section 58 (d)
- (d) धारा 58 (ङ) / Section 58 (e)

**9)निम्नलिखित में से कौन-से बंधक में बंधककर्ता बंधक धन के भुगतान हेतु स्वयं को व्यक्तिगतः आबद्ध करता है? / In which of the following mortgages, the mortgagor binds himself personally to pay the mortgaged money?**

- (a) सादा बंधक में/ Simple mortgage
- (b) भोग बंधक में / Usufructuary mortgage
- (c) विलक्षण बंधक में / Anomalous mortgage
- (d) हस्तान्तरण पत्र द्वारा बंधक में / Mortgage by deposit of title-deeds

**10) बंधक के बारे में कौन-सा कथन सत्य नहीं है? / Which statement about mortgage is not true?**

- (a) यह विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अन्तरण है। / It is a transfer of interest in the specified immovable property.
- (b) बंधक में स्वामित्व का अन्तरण होता है। / There is a transfer of ownership in mortgage.
- (c) प्रतिफल बंधक का आवश्यक तत्व है। / Consideration is an essential element of mortgage.
- (d) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में छः प्रकार के बंधक हैं। / There are six types of mortgages in the Transfer of Property Act, 1882.

**11) संपत्ति अन्तरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अधीन अंग्रेजी बंधक संबंधित प्रावधान है? / Under which section of the Transfer of Property Act, there is a provision relating to English mortgage?**

- (a) धारा 58 (ख) / Section 58 (b)
- (b) धारा 58 (ग) / Section 58 (c)
- (c) धारा 58 (ङ) / Section 58 (e)
- (d) धारा 58 (क) / Section 8 (a)

**12) भोग बंधक में बंधकदार संपत्ति का आधिपत्य ले लेता है। उसे भाटकों एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है- / In Usufructuary mortgage, the mortgagee takes possession of the property. He has the right to receive rents and other benefits**

- (a) जब तक बंधक धन अदा नहीं किया जाता। / Until the mortgage money is paid.
- (b) जब तक संविदा भंग नहीं की जाती। / Unless the contract is breached.
- (c) तीस वर्षों की सुनिश्चित अवधि के लिए। / For a specified period of thirty years.
- (d) निन्यानवे वर्षों की सुनिश्चित अवधि के लिए / For a specified period of ninety-nine years

**13) जब बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता है कि वह संपत्ति पर कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रहेगा तथा संपत्ति का किराया व लाभ प्राप्त करेगा। ऐसे बंधक को कहा जाता है- / When the mortgagor gives possession of the mortgaged property to the mortgagee authorizing that he will remain in possession of the property till the payment of the mortgage money and will receive the rent and profit of the property. Such mortgage is called -**

- (a) विलक्षण बंधक / Anomalous mortgage
- (b) साधारण बंधक / Simple mortgage
- (c) अंग्रेजी बंधक / English mortgage
- (d) भोग बंधक / Usufructuary mortgage

**14) बंधककर्ता का सम्पत्ति में बंधक मोचन का अधिकार उत्पन्न हो जाता है- / The mortgagor's right to redemption of the property arises-**

- (a) बंधक के बाद किसी भी समय / At any time after the mortgage
- (b) बंधक धन देय होने के बाद किसी भी समय / At any time after the mortgage money becomes due
- (c) बंधककर्ता की इच्छा पर किसी भी समय पर / At any time at the will of the mortgagee
- (d) बंधकदार के धन मांगने पर किसी भी समय पर / At any time when the mortgagee calls for money

**15) निम्न में से कौन-सा अधिकार बंधकदार का है न कि बंधककर्ता का ? / Which of the following rights belongs to the mortgagee and not to the mortgagor?**

- (a) दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार / Right of inspection of documents
- (b) कब्जे के प्रत्युद्धरण का अधिकार / Right to recovery of possession
- (c) मोचन का अधिकार / Right to Redemption
- (d) पुरोबन्ध का अधिकार / Right of foreclosure

**16) 'A' भवन की भूमि का निश्चित भू-भाग 'B' के पास गिरवी रखता है और उसके बाद भूमि पर एक घर का निर्माण करता है। अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से, 'B' हकदार**

है-/'A' mortgages certain portion of the building's land to 'B' and then builds a house on the land. For the purpose of his own security, 'B' is entitled to-

- (a) घर के साथ भूखण्ड का / plot with house
- (b) केवल घर का/ home only
- (c) केवल भूखण्ड का/ of the plot only
- (d) घर या भूखण्ड में से किसी का भी नहीं / none of the house or plot

**17) प्रत्यासन का संबंध सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा से संबंधित है?/Which Section is related to Subrogation under the Transfer of Property Act?**

- (a) धारा 54/Sec. 54
- (b) धारा 67/ Sec. 67
- (c) धारा 100/ Sec. 100
- (d) धारा 92/ Sec. 92

**18) लिस पेंडेंस का नियम स्थावर संपत्ति के अन्तरण के अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन के मुकदमों पर लागू होता है। कथन है:/Rule of lis pendens is applicable to suits for specific performance of contracts to transfer immovable property. The statement is:/**

- (a) सही /true
- (b) ग़लत/false
- (c) आंशिक रूप से सही है/partly true
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**19) लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित अन्तरण के मामले में, संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 या 51 के तहत बाद के विक्रेता के पक्ष में न्यायसंगत राहत प्रदान करने से पहले सद्भावना का प्रश्न स्थापित किया जाना आवश्यक है। /In case of a transfer hit by the doctrine of lis pendens, the question of good faith which is essential to be established before a equitable relief can be granted in favour of a subsequent**

**vendee under sections 41 or 51 of the Transfer of Property Act, 1882 is:**

- (a) सुसंगत/relevant
- (b) आंशिक रूप से सुसंगत/partly relevant
- (c) पूरी तरह से असंगत/totally irrelevant
- (d) आंशिक रूप से असंगत/partly irrelevant.

**20) हकशफ़ा के मुकदमे में विशिष्ट स्थावर संपत्ति का अधिकार शामिल होता है और अन्तरण किसके अंतर्गत आता है?/A suit for pre-emption involves a right to specific immovable property and transfer comes under:?**

- (a) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 51/section 51 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 52/section 52 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53/section 53 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**21)सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा करने या संपत्ति पर गलत कब्ज़ा जारी रखने का कार्य "संपत्ति के साथ अन्यथा व्यवहार करना" नहीं है, ताकि धारा 52 को आकर्षित किया जा सके, भले ही गलत काम करने वाला मुकदमे में एक पक्ष हो। यह निम्नलिखित के मामले में आयोजित किया गया था:/The Supreme Court held that the act of taking illegal possession of property or the continuance of wrongful possession of property does not amount to "otherwise dealing with the property" so as to attract section 52, even if the wrongdoer be a party to the suit. This was held in case of:**

- (a) नारायण सिंह बनाम इमान दीन, (1934) 154 आईसी 729/Narain Singh v. Iman Din, (1934) 154 IC 729
- (b) धनसिंह बनाम सुशीलाबाई, एआईआर 1968 एमपी 229/Dhansingh v. Sushilabai, AIR 1968 MP 229

(c) हरनाम सिंह बनाम जीवन, 1906 पीआर 7/Harnam Singh v. Jiwan, 1906 PR 7

(d) राजेंद्र सिंह बनाम समा सिंह, एआईआर 1973 एससी/Rajendra Singh v. Sama Singh, AIR 1973 SC

**22)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 52, तब लागू नहीं होती जब प्रतिवादी किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दिवालिया हो जाता है और संपत्ति आधिकारिक समनुदेशिती में निहित हो जाती है। कथन है:/Section 52 of the Transfer of Property Act, 1882, does not apply when the defendant becomes insolvent during the pendency of a suit and the estate vests in the official assignee. The statement is:**

- (a) ग़लत/false
- (b) सही /true
- (c) आंशिक रूप से सही है/partly true
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**23)धोखाधड़ी वाले अन्तरण का प्रावधान इस प्रकार है:/The provision of fraudulent transfer is dealt in:**

- (a) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 49/section 49 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 50/section 50 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 51/section 51 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53।/section 53 of the Transfer of Property Act, 1882.

**24)अंतरणकर्ता के लेनदारों को पराजय या विलंब करने के इरादे से किया गया स्थावर संपत्ति का प्रत्येक अन्तरण शून्यकरणीय होगा:/Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor, shall be voidable:**



- (a) लेनदार के विकल्प पर इतना पराजित या विलंबित/at the option of creditor so defeated or delayed
- (b) देनदार के विकल्प पर/at the option of debtor
- (c) अदालत के विकल्प पर/at the option of court
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**25) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 के तहत लेनदार को हराने और धोखा देने के लिए किया गया विवाह समझौता रद्द करने योग्य है। यह निम्नलिखित के मामले में आयोजित किया गया था:/A marriage settlement made to defeat and defraud creditor is voidable under section 53 of the Transfer of Property Act, 1882. This was held in case of:**

- (a) सुल्तान अहमद बनाम रशीद अहमद, एआईआर 1990/Sultan Ahmad v. Rashid Ahmad, AIR 1990
- (b) विनायक बनाम मुरेश्वर, एआईआर 1956 पुंज 46/Vinayak v. Mureshwar, AIR 1956 Punj 46
- (c) अलामेलु अची बनाम मीनाक्षी, एआईआर 1960 मैड 536/Alamelu Achie v. Meenakshi, AIR 1960 Mad 536
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above

**26) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 के प्रावधानों के तहत, एक सह-पारिसर द्वारा दूसरे के पक्ष में त्याग को तब तक अन्तरण नहीं कहा जा सकता जब तक:/Under the provisions of section 53 of the Transfer of Property Act, 1882, the relinquishment by one coparcener in favour of another cannot be said to be a transfer unless:**

- (a) यह लेनदारों से बचने का एक उपकरण पाया गया है/it is found to be a device to evade creditors
- (b) यह देनदारों से बचने का एक उपकरण पाया गया है/it is found to be a device to evade debtors
- (c) यह सरकारी नीति से बचने का एक उपकरण है/it is to be a device to evade the government policy
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**27)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 में प्रयुक्त ऋणदाता शब्द में शामिल हैं:/The term creditor used in section 53 of the Transfer of Property Act, 1882 includes:**

- (a) केवल उत्तरवर्ती लेनदार/subsequent creditors only
- (b) केवल अभिहस्तांकन के समय लेनदार/creditors at the time of assignment only
- (c) उत्तरवर्ती लेनदार और अभिहस्तांकन के समय लेनदार दोनों/both creditors at the assignment and subsequent creditors
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**28)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 के प्रावधान इनमें से किसी भी प्रावधान से प्रभावित नहीं हैं:/The provisions of section 53 of the Transfer of Property Act, 1882 are not affected by any of the provisions of:**

- (a) माल की बिक्री अधिनियम, 1930/Sale of Goods Act, 1930
- (b) भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908/Indian Registration Act, 1908
- (c) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963/Specific Relief Act, 1963
- (d) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988/Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988.

**29)संपत्ति के अन्तरण में आंशिक प्रदर्शन इसमें प्रदान किया गया है:/The part performance in the transfer of property is provided in:?**

- (a) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53/section 53A of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1930 की धारा 53/section 53 of the Indian Partnership Act, 1930
- (c) भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 53/section 53 of the Indian Registration Act, 1908
- (d) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 53/section 53 of the Specific Relief Act, 1908.

**30)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53ए में "कोई स्थावर संपत्ति" शब्द का तात्पर्य है/The words "any immovable property" in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 refers to**

- (a) यह धारा जंगम संपत्ति पर लागू नहीं हो सकती/this section cannot apply to movable property
- (b) सभी स्थावर संपत्ति नहीं/not all of immovable property
- (c) कोई विशेष स्थावर संपत्ति नहीं/not a particular immovable property
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**31)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अर्थ में बिक्री शामिल नहीं है/Within the meaning of section 54 of the Transfer of Property Act, 1882, the sale does not include**

- (a) उच्च खरीद लेनदेन/higher purchase transaction
- (b) नीलामी बिक्री/auction sale
- (c) किस्त भुगतान प्रणाली/instalment payment system
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**32)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 55 के अर्थ में, विक्रेता है/Within the meaning of section 55 of the Transfer of Property Act, 1882, the seller is:**

- (a) खरीदार को संपत्ति में या विक्रेता के शीर्षक में किसी भी भौतिक दोष का खुलासा करने के लिए बाध्य है जिसके बारे में विक्रेता और खरीदार को पता नहीं है और जिसे खरीदार सामान्य देखभाल के साथ नहीं खोज सकता है/bound to disclose to the buyer any material defect in the property or in seller's title of which the seller is and buyer is not aware and which the buyer could not with ordinary care discover
- (b) कुछ भी खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है/not bound to disclose anything
- (c) केवल (बी) सही है/only (b) is correct
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above

**33) संपत्ति के अन्तरण के मामले में विक्रेता है:/In case of transfer of property the seller is:?**

(a) संपत्ति के किराए और मुनाफे का हकदार नहीं है जब तक कि उसका स्वामित्व खरीदार के पास नहीं चला जाता/not entitled to rents and profits of the property till the ownership thereof passes to buyer

(b) संपत्ति के किराए और मुनाफे का तब तक हकदार है जब तक उसका स्वामित्व खरीदार के पास नहीं चला जाता/is entitled to rents and profits of the property till the ownership thereof passes to buyer

(c) किराए या अन्य मुनाफे का हकदार है/is entitled to rents or other profits

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**34) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के तहत खरीदार और विक्रेता के अधिकारों और देनदारियों को अनुभाग में निपटाया गया है:/Under the Transfer of Property Act, 1882 the rights and liabilities of buyer and seller are dealt in section:**

(a) 52

(b) 53

(c) 54

(d) 55

**35). संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 55(1)(ए) समान है:/Section 55(1)(a) of the Transfer of Property Act, 1882 is same with:**

(a) माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 16/section 16 of the Sale of Goods Act, 1930

(b) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16 /section 16 of the Indian Contract Act, 1872

(c) भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 16/section 16 of the Indian Registration Act, 1908

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं,/none of the above,

**36)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 55(1)(डी) के तहत, यदि कोई भी पक्ष विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा करता है, तो उसे यह दिखाना होगा कि वह**

प्रदर्शन के लिए तैयार और इच्छुक है।/Under section 55(1)(d) of the Transfer of Property Act, 1882, if either party sues for specific performance, he must show that he was ready and willing to perform ?

- (a) कथन सुसंगत नहीं है/the statement is not relevant
- (b) कथन सुसंगत है/statement is relevant
- (c) केवल (ए) सही है/only (a) is correct
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**37)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 55(4)(बी) के प्रावधानों के अर्थ में, जहां संपत्ति में स्वामित्व पारित हो गया है, लेकिन कब्जा वितरित नहीं किया गया है, विक्रेता इसका हकदार नहीं है:/Within the meaning of provisions of the section 55(4)(b) of the Transfer of Property Act, 1882, where the title in the property has passed, but possession has not been delivered, the seller is not entitled to:**

- (a) खरीद मूल्य पर ब्याज/interest on the purchase price
- (b) खरीद मूल्य पर ब्याज/possession of property
- (c) केवल (बी) सही है/only (b) is right
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**38) यदि कई खरीदार हैं, तो विक्रेता को प्रत्येक द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुपात की चिंता नहीं है, लेकिन उसके पास पूरी संपत्ति पर भार है:/If there are several purchasers, the seller is not concerned with the proportion to be paid by each, but he has a charge on the whole property:?**

- (a) अवैतनिक खरीद धन के लिए/for unpaid purchase money
- (b) केवल भुगतान की गई राशि के लिए/for paid up amount only
- (c) केवल (बी) सही है/only (b) is correct
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**39) एक पट्टेदार इस धारा के तहत मार्शलिंग के अधिकार का हकदार नहीं है:/A lessee is not entitled to the right of marshaling under the section:?**

- (a) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 का 55/55 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 56/56 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 57/57 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**40)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 57 का उद्देश्य है/The object of section 57 of the Transfer of Property Act, 1882 is to:**

- (a) बिक्री से पहले स्वामित्व से भार हटाकर भारग्रस्त संपत्तियों की बिक्री की सुविधा प्रदान करना/facilitate the sale of encumbered estates by taking the encumbrance off the title before sale
- (b) बिक्री से पहले स्वामित्व से भार हटाकर भारग्रस्त संपत्तियों की बिक्री की सुविधा प्रदान नहीं करना है/is not to facilitate the sale of encumbered estates by taking the encumbrance off the title before sale
- (c) केवल (बी) सही है/only (b) is correct
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**41)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 स्थावर संपत्ति के बंधक को संदर्भित करता है और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 संदर्भित करता है:/The Transfer of Property Act, 1882 refers to mortgages of immovable property and the Indian Contract Act, 1872 refers to:**

- (a) स्थावर संपत्ति की गिरवी/pledges of immovable property
- (b) स्थावर संपत्ति का बंधक/mortgages of immovable property
- (c) स्थावर संपत्ति की गिरवी/pledges of immovable property
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above

**42) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 60 मोचन के अधिकार की पुष्टि करती है:/Section 60 of the Transfer of Property Act, 1882 affirms a right of redemption:**

- (a) कुछ विशेष बंधक में/in some particular mortgages
- (b) सभी बंधक में/in all mortgages
- (c) एक भी बंधक में नहीं/not in a single mortgages also
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**43) भारतीय कानून में बन्धककर्ता वह मालिक होता है जिसने स्वामित्व के कुछ अधिकारों से नाता तोड़ लिया है और मोचन का अधिकार एक अधिकार है जिसका प्रयोग वह अपने आधार पर करता है:/The mortgagor in Indian law is the owner who had parted with some rights of ownership and the rights of redemption is a right which he exercises by virtue of his:?**

- (a) आर्थिक स्वामित्व/pecuniary ownership
- (b) अवशिष्ट स्वामित्व/residuary ownership
- (c) सशर्त स्वामित्व/conditional ownership
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**44)जब बन्धककर्ता को छुड़ाने का अधिकार प्राप्त होता है, तो बन्धक-ग्रहीता के पास इसे लागू करने का अधिकार होता है:/When the mortgagor's right to redeem accrues, the mortgagee has a right to enforce:?**

- (a) उसका सुरक्षा/his security
- (b) उसका हित/his interest
- (c) केवल (बी) सही है/only (b) is correct
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**45)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 60, कानून के संचालन द्वारा मोचन की इक्विटी के विलुप्त होने का उल्लेख नहीं करती है। कथन है?/Section 60 of the Transfer of Property Act, 1882, does not refer to the extinction of the equity of redemption by operation of law.The statement is?**

- (a) ग़लत/false
- (b) आंशिक रूप से ग़लत/partly false
- (c) सही /true
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**46)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 60ए के प्रावधानों के तहत, जहां एक बंधककर्ता मोचन का हकदार है, वह बन्धक-ग्रहीता से संपत्ति को फिर से स्थानांतरित करने के बजाय, बंधक ऋण आवंटित करने और गिरवी रखी गई संपत्ति को ऐसे तीसरे को हस्तांतरित करने की मांग कर सकता है। बंधककर्ता के रूप में व्यक्ति बंधककर्ता को निर्देशित कर सकता है?/Under the provisions of**

**section 60A of the Transfer of Property Act, 1882, where a mortgagor is entitled to redemption, he may require the mortgagee, instead of re- transferring the property, to assign the mortgage debt and transfer the mortgaged property to such third person as mortgagor may direct then the mortgagor: the**

- (a) तदनुसार आवंटित करने और स्थानांतरित करने के लिए बाध्य नहीं है/is not bound to assign and transfer accordingly
- (b) तदनुसार आवंटित करने और स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है/is bound accordingly to assign and transfer accordingly
- (c) यदि बंधककर्ता सहमति देता है तो बाध्य है/is bound if the mortgagor assents
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**47) धारा 60ए के प्रावधान, यानी बन्धककर्ता को अन्तरण के बजाय तीसरे पक्ष को अंतरित करने की बाध्यता, बन्धक-ग्रहीताके मामले में लागू नहीं होती है जो:**

**/Provisions of section 60A, i.e., obligation to transfer to a third party instead of transfer to mortgagor, does not apply in case of a mortgagee who:?**

- (a) कब्जे में नहीं है/is not in possession
- (b) कब्ज़ा है या रहा है/is or has been in possession
- (c) पहले से कब्ज़ा धारक है/is previously possession holder
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.



**48) बंधककर्ता को दस्तावेज़ के निरीक्षण और उत्पादन का अधिकार किसमें प्रदान किया गया है?/Mortgagor's right to inspection and production of documents is provided in?**

- (a) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 60बी/section 60B of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के ऐसे 60ए/such 60A of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 60/section 60 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**49)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 61 के प्रावधानों के अंतर्गत, एक बंधककर्ता जिसने एक ही बंधक के पक्ष में दो या अधिक बंधक निष्पादित किए हैं, और जब किन्हीं दो या अधिक बंधकों का मूल धन देय हो गया हो :/Within the meaning of the provisions of section 61 of the Transfer of Property Act, 1882, a mortgagor who has executed two or more mortgages in favour of the same mortgagee, and when the principal money of any two or more of the mortgages has become due:**

- (a) ऐसे किसी एक बंधक को अलग से या ऐसे किन्हीं दो या अधिक बंधकों को एक साथ मोचन का हकदार नहीं होगा/shall not be entitled to redeem any one such mortgage separately or any two or more of such mortgages together
- (b) ऐसे किसी एक बंधक को अलग से या ऐसे बंधक में से किसी दो या अधिक को एक साथ मोचन का हकदार होगा/shall be entitled to redeem any one such mortgage separately or any two or more of such mortgagee together
- (c) केवल (ए) सही उत्तर है/only (a) is correct answer
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**50) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 61 का सार यह है कि भले ही बंधक एक ही संपत्ति के हों, बंधककर्ता प्रत्येक को अलग-अलग मोचन कर सकता है जब तक कि इसके विपरीत अनुबंध द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो। कथन**

है:/The gist of section 61 of the Transfer of Property Act, 1882, is that even if the mortgages are of the same property the mortgagor may redeem each separately unless restrained by a contract to the contrary. The statement is:

- (a) सही /true
- (b) ग़लत/false
- (c) आंशिक रूप से सही है/partly true
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**51)संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 62 का खंड (ए) उन मामलों को संदर्भित करता है जहां मूलधन और ब्याज का भुगतान भोगबंधक से किया जाता है, और मुकदमा मोचन के बजाय कब्जे की वसूली के लिए है। ये कथन**

**/Clause (a) of section 62 of the Transfer of Property Act, 1882 refers to cases where the principal and interest are paid out of the usufruct, and the suit is one for the recovery of possession rather than redemption. These statements**

- (a) ग़लत/false
- (b) सही /true
- (c) खंड (बी) की विषय वस्तु हैं/are subject matter of clause (b)
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**52)विलक्षण बंधक पर संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 60 लागू होती है जबकि भोगबन्धक पर/To an anomalous mortgage section 60 of the Transfer of Property Act, 1882 applies whereas to an usufructuary mortgage**

- (a) धारा 62 लागू होती है/section 62 applies
- (b) धारा 61 लागू होती है/section 61 applies
- (c) धारा 63 लागू होती है/section 63 applies
- (d) धारा 64 लागू होती है।/section 64 applies.

**53) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 63, कुछ परिग्रहण से संबंधित है:**

बिंदु 1-प्राकृतिक परिग्रहण बिन्दु 2- अर्जित परिग्रहण जो पृथक्करणीय हैं बिंदु 3- अर्जित परिग्रहण जो अविभाज्य हैं/Section 63 of the Transfer of Property Act, 1882, deals with some of accession:

**Point 1-Natural accessions Point 2- Acquired accessions which are separable Point 3- Acquired accessions which are inseparable?**

- (a) दोनों (1) और (2) सुसंगत हैं/both (1) and (2) are relevant
- (b) दोनों (2) और (3) सुसंगत हैं/both (2) and (3) are relevant
- (c) दोनों (1) और (3) सुसंगत हैं/both (1) and (3) are relevant
- (d) सभी (1), (2) और (3) सुसंगत हैं/all (1), (2) and (3) are relevant.

**54) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 63, बंधक द्वारा किए गए परिग्रहण पर बन्धककर्ता के अधिकारों को संदर्भित करती है, जबकि बन्धक-ग्रहीता द्वारा बन्धककर्ता द्वारा किए गए परिग्रहण के अधिकार को संदर्भित करती है।/Section 63 of the Transfer of Property Act, 1882, refers to the mortgagor's rights to accessions made by mortgage, while the mortgagee's right to accessions made by the mortgagor is referred in**

- (a) धारा 70/section 70
- (b) धारा 71/section 71
- (c) धारा 73/section 73
- (d) धारा 76./section 76.

**55) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 63 में कहा गया है कि जहां बन्धक-ग्रहीता के कब्जे में गिरवी रखी गई संपत्ति को कोई परिग्रहण प्राप्त हुआ है, वहां मोचन पर बन्धककर्ता हकदार है/Section 63 of the Transfer of Property Act, 1882, lays down that where the mortgaged property in possession of mortgagee has received any accession, the mortgagor upon redemption is entitled to ?**

- (a) ब्याज/interest
- (b) ऐसा परिग्रहण/such accession
- (c) अभिवृद्धि/accretion

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**56)संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत अर्जित परिग्रहण पृथक्करणीय होने के कारण, बन्धककर्ता उन्हें लेने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि वह उन्हें लेता है, तो उसे बन्धक-ग्रहीता को उन्हें प्राप्त करने के खर्च का भुगतान करना होगा। कथन है:?****Within the meaning of the provisions of section 63 of the Transfer of Property Act, 1882 the acquired accessions being separable, the mortgagor is not bound to take them, but if he does take them, he must pay the mortgagee the expenses of acquiring them The statement is:?**

- (a) गलत /false
- (b) सही /true
- (c) आंशिक रूप से सही है/partially true
- (d) none of the above.

**57)संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 70 के तहत, प्राकृतिक परिग्रहण सुरक्षा में अतिरिक्त हैं और इसमें शामिल होने के अधीन हैं:Under section 70 of the Transfer of Property Act, 1882, the natural accessions are additions to the security and becoming incorporated in it, are subject to:**

- (a) मोचन/redemption
- (b) मोचन नहीं किया जाएगा/not to be redeemed
- (c) आगे परिग्रहण/further accession
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above

**58) बन्धक रखी गई संपत्ति में सुधार का प्रावधान इस प्रकार है:The provision for the improvements to the mortgaged property is dealt in:?**

- (a) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 62/section 62 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 63/section 63 of the Transfer of Property Act, 1882

(c) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 63ए/section 63A of the Transfer of Property Act, 1882

(d) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 63बी/section 63B of the Transfer of Property Act, 1882.

**59) जहां, बंधक की निरंतरता के दौरान, बंधकदार के कब्जे में बंधक संपत्ति में सुधार किया गया है: /Where, during the continuance of the mortgage, the mortgaged property in the possession of the mortgagee has been improved then:?**

(a) बंधककर्ता सुधार का हकदार होगा/the mortgagor shall be entitled to the improvement

(b) बंधककर्ता सुधार का हकदार नहीं होगा/mortgagor shall not be entitled to improvement

(c) केवल (बी) सही है/only (b) is correct

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**60) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 63ए के प्रावधानों के अर्थ में, जहां गिरवी रखी गई संपत्ति में सुधार बंधक-ग्रहीता की कीमत पर प्रभावित होता है और संपत्ति को विनाश आदि से बचाने के लिए आवश्यक है, तो बंधककर्ता/Within the meaning of the provisions of section 63A of the Transfer of Property Act, 1882, where the improvements to mortgaged property is affected at the cost of the mortgagee and is necessary to preserve the property from destruction, etc., then the mortgagor?**

(a) लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा/shall not be liable to pay cost

(b) लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/shall be liable to pay cost

(c) केवल (ए) सही है/only (a) is correct

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**61) बंधक पट्टे के मामले में, यदि बंधक पट्टे का नवीनीकरण प्राप्त करता है, तो मोचन पर बंधककर्ता/In the case of a mortgaged lease, if the**

**mortgage obtains a renewal of the lease, the mortgagor upon redemption?**

- (a) नए पट्टे का लाभ नहीं मिलेगा/shall not have the benefit of new lease
- (b) नए पट्टे का लाभ मिलेगा/shall have the benefit of new lease
- (c) पिछले पट्टे का लाभ होगा/shall have benefit of previous lease
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**62)बंधक पट्टे के नवीनीकरण का प्रावधान इस प्रकार है:/The provision of the renewal of mortgaged lease is dealt in:**

- (a) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 63/section 63 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 63ए/section 63A of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 64/section 64 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65/section 65 of the Transfer of Property Act, 1882.

**63)The provision of the implied contracts by mortgage is dealt in the:/बंधक द्वारा निहित अनुबंधों का प्रावधान इसमें निपटाया गया है ?**

- (a) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 64/section 64 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65/section 65 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65ए/section 65A of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**64)जब बन्धककर्ता सार्वजनिक प्रयोजन के लिए न्यासी होता है, तो वह होता है:/When the mortgagor is a trustee to the public purpose, there is:**

- (a) विबंधन/estoppel

- (b) विबंधन नहीं/no estoppel
- (c) विधि में ऐसा कोई प्रावधान प्रचलित नहीं है/no such provision prevails in law
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**65)**जब एक बन्धककर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका उत्तराधिकारी सार्वजनिक शुल्क,सरकारी राजस्व और नगरपालिका कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। कथन है:**/When a mortgagor dies, his heir is liable to pay the public charges viz. Government revenue and municipal taxes.**

**The statement is:**

- (a) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65 के अर्थ में सही है/true within the meaning of section 65 of the Transfer of Property Act, 1882
- (b) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65 के अर्थ में गलत/false within the meaning of section 65 of the Transfer of Property Act, 1882
- (c) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65 के अर्थ में आंशिक रूप से सही है/partly true within the meaning of section 65 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**66)**बंधककर्ता की पट्टे देने की शक्ति संपत्ति के प्रबंधन के सामान्य क्रम में किसी स्थानीय कानून, प्रथा या उपयोग के अनुसार बनाई जाएगी। कथन है:

**/The mortgagor's power to lease would be made in the ordinary course of management of the property in accordance with any local law, custom or usage. The statement is:**

- (a) गलत/wrong
- (b) सही /correct
- (c) संदिग्धता/ambiguity
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above.

**67)**संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 66 के अर्थ के अंतर्गत, गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा रखने वाला बन्धककर्ता संपत्ति को खराब होने देने के लिए बन्धक -ग्रहीता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कथन है:**/Within the meaning of**

**section 66 of the Transfer of Property Act, 1882, mortgagor in possession of the mortgaged property is not liable to the mortgagee for allowing the property to deteriorate. The statement is:**

- (a) गलत /wrong
- (b) सही /correct
- (c) संदिग्धता/ambiguous
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।/none of the above.

**68) यह डिक्री प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला मुकदमा कि बन्धककर्ता को गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने के उसके अधिकार से पूर्णतः वंचित कर दिया जाएगा, कहलाता है:/A suit to obtain a decree that a mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgaged property is called:**

- (a) पुरोबंध के लिए एक दावा/a suit for foreclosure
- (b) दावे के लिए एक मुकदमा/a suit for claim
- (c) ब्याज के लिए एक मुकदमा/a suit for interest
- (d) मूल्य के लिए एक दावा/a suit for cost.


**69)बन्धककर्ता द्वारा ब्याज के भुगतान में चूक से बन्धक -ग्रहीता के पुरोबंध के अधिकार में गतिवृद्धि नहीं आती है जब तक कि:/Default in payment of interest by the mortgagor does not accelerates mortgagee's right to foreclosure unless: the**

- (a) यह बंधक में प्रदान किया गया है/it is provided in the mortgage
- (b) यह बंधक में प्रदान नहीं किया गया है/it is not provided in the mortgage
- (c) केवल (बी) सही है/only (b) is correct
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/none of the above

**70) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 67 के अंतर्गत:/Within the means of section 67 of the Transfer of Property Act, 1882 ?**



- (a) साधारण बंधक को पुरोबध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हस्तांतरित वास्तविक अधिकार बिक्री का अधिकार है/simple mortgage cannot foreclose, as the real right transferred is a right of sale
- (b) साधारण बंधक को पुरोबध किया जा सकता है/simple mortgage can foreclose
- (c) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 67 में पुरोबध का प्रावधान नहीं है/foreclose is not a provision in section 67 of the Transfer of Property Act, 1882
- (d) बंधक को पुरोबध नहीं किया जा सकता है।/mortgage cannot be foreclose.



Estd. 2008

## Answer key

- 1-b
- 2-a
- 3-d
- 4-d
- 5-d
- 6-a
- 7-c
- 8-c
- 9-a
- 10-b
- 11-c
- 12-a
- 13-d
- 14-b
- 15-d
- 16-a
- 17-d
- 18-a
- 19-c
- 20-b
- 21-d
- 22-b
- 23-d
- 24-a
- 25-c
- 26-a
- 27-c
- 28-d



राजस्थली

Estd. 2008

29-a  
30-a  
31-a  
32-a  
33-b  
34-d  
35-a  
36-b  
37-a  
38-a  
39-b  
40-a  
41-a  
42-b  
43-b  
44-a  
45-c  
46-b  
47-b  
48-a  
49-b  
50-a  
51-b  
52-a  
53-d  
54-a  
55-b  
56-b  
57-a  
58-c  
59-a  
60-b



Estd. 2008

61-b  
62-c  
63-b  
64-b  
65-a  
66-b  
67-b  
68-a  
69-a  
70-a



Estd. 2008